न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 105/2019

मैसर्स महाकाली स्टोन क्रेशर जरिये कैलाश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 बृजबल्लभ शर्मा जाति ब्राहमण निवासी 42 ए कस्तूरबा नगर, मोहन मार्ग, अजमेर रोड, जयपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 14.07.2016 व मुकदमा रिपोर्ट पटवारी घाटरी बनाम मैसर्स महाकाली स्टोन क्रेशर मि0न0 09/2016 कार्यवाही अन्तर्गत 90(ए) भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 27.10.2021

अपीलान्ट ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 14.07.2016 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 90(ए) भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को ग्राम घाटरी की आराजी खसरा नम्बर 46 रकवा 4 वीघा 2 विस्वा ग्राम घाटरी में से 3.10 वीघा पर कार्यालय, कच्चा/पक्का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

माल डालकर बिना भूमि रूपान्तरण कराये कृषि भूमि का अकृषि भूमि में उपयोग करने पर बेदखल करें पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यो के विपरीत निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 46 से अपीलान्ट का कोई सरोकार नहीं है और न ही अपीलान्ट ने उक्त भूखण्ड में कार्यालय बनाया है एवं न ही उसमें क्रेशर का कच्चा पक्का माल भी नहीं डाला है। अपीलान्ट का क्रेशर खसरा नम्बर 47 में लगा हुआ है तथा उसी में उसका कार्यालय बना हुआ हैव उसी में कच्चा पक्का माल रखा जाता है। आराजी खसरा नम्बर 47 को औद्योगिक उपयोग के लिये रूपान्तरित कराकर उसमें क्रेशर लगाया है। बच्चीराम का काफी समय पूर्व देहान्त हो चुका है व अब वह इस क्रेशर का मालिक नहीं है, उनके जरिये कार्यवाही करना गलत है। उक्त क्रेशर का मालिक अब अपीलान्ट है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कार्यवाही बिना किसी आधार के ही की गई है जो अवैधानिक है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि आराजी खसरा नम्बर 46 में कोई कार्य किया गया है तो उसके खातेदार के विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिये थी। उक्त खसरा नम्बर के नाम से अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही कर अपीलान्ट के कार्यालय एवं कच्चा पक्का माल जो उसके रूपान्तरित खसरा नम्बर 47 में है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट कयास के आधार पर एवं मनगढत तथा गलत है, पटवारी के बयान तक नहीं लिये गये है व तहसीलदार ने मौके पर जाकर कोई जांच नहीं की है, मात्र पटवारी हल्का के गलत आधारहीन व झूठे तथ्यों पर अति विस्वास करके अपीलान्ट के विरूद्ध जो

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

विधि विरूद्ध कार्यवाही की है। अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया है और न ही उसको सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है। पत्रावली पर अपीलान्ट के विरूद्ध तनिक साक्ष्य तक मौजूद नहीं है, सभी कार्यवाहियॉ इकतरफा में की गई है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार एक कृषक अपनी कृषि भूमि के एक एकड भूमि का बिना कनवर्जन कराये लघु उद्योग के कार्य में ले सकता है तथा भूमि अकृषि के उपयोग में नहीं मानी जावेगी। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना नोटिस दिये इकतरफा में कार्यवाही की है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश का पता नहीं चल सका था, पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 02.12.2019 को मौखिक रूप से बताया गया। अगले दिन दिनांक 03.12.2019 को तहसील में जाकर जानकारी की गई जो कि सही निकली। दिनांक 03.12.2019 को नकल प्रार्थना पत्र देकर उसी दिन नकल प्राप्त की गई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिये दफा 5 म्याद अधिनियम को प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया है। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 90(ए) के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार ने अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.07.2016 द्वारा महाकाली स्टोन क्रेशर के आराजी खसरा नम्बर 46 रकवा 4 वीघा 02 विस्वा खातेदारी भूमि का बिना रूपान्तरण कराये अकृषि प्रयोजन काम में लेने के कारण बेदखल किये जाने एवं गैर रूपान्तरण भूमि पर पडे मलवे को कब्जे राज लेने के आदेश दिये गये है। मुताबिक जमाबन्दी संवत 2072–75 आराजी खसरा नम्बर 46 रकवा 4 वीघा 2 विस्वा ग्राम घाटरी पर राजन आनन्द पुत्र एम.एल. आनन्द 5/6 जाति पंजाबी निवासी 57/1.57/2 सिविल लाईन रूद्रपुर ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड, विजय कुमार पुत्र रामकुमार मित्तल 1/6 कौम वैश्य सा. पीडब्ल्यूडी वार्ड नं0 9 किच्छा तहसील किच्छा जिला ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड खातेदार इ.नं. 1292, 1362, 1393 वय के नाम दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल महाकाली स्टोन क्रेशर को 90 ए भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया है। जबकि आराजी खसरा नम्बर 46 के खातेदार राजन आनन्द, विजय कुमार निवासी उत्तराखण्ड को कोई नोटिस जारी करना तहत न्यायालय की पत्रावली से, नहीं पाया गया है। जबकि जिस आराजी खसरा नम्बर का अकृषि के प्रयोग उपयोग में लिया जा रहा है उसके खातेदारों को कार्यवाही में पक्षकार बनाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 30.03.2016 की आर्डरसीट पर पक्षकार के हस्ताक्षर है। उसके बाद किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.07.2019 को अपीलाधीन आदेश पारित किया जो पक्षकार की गैरमौजूदगी में किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत पक्षकारों को नहीं सुना है और न ही पटवारी हल्का के बयान

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

आदि लिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नही है। उक्त प्रकरण में पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये एवं विधिवत जॉच कर विधि में दी गई प्रक्रिया अनुसार निर्णय किये जाने हेतु तहसीलदार भुसावर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार तहसीलदार भुसावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार भुसावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि वे पक्षकारो को सुनवाई, साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर देकर जॉच कर विधि में दी गई प्रक्रिया अनुसार पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ तहसीलदार भुसावर से प्राप्त तहत पत्रावली वापिस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)